यह निरीक्षण प्रतिवेदन चिकित्सा अधीक्षक, जी0 बी0 पन्त चिकित्सालय, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, चिकित्सा अधीक्षक, जी0 बी0 पन्त चिकित्सालय, नैनीताल के माह 04/2012 से 01/2017 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संजय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं दयाशंकर, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा दिनॉक 03.02.2017 से 07.02.2017 तक श्री डी0 एन0 मिश्रा, व0 लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. (अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री प्राचीश सिंघल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री नीरज चुरंगू, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2012 से 07.07.12 तक श्री डी0 पी0 लखेड़ा, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2010 से 03/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखा परीक्षा में माह 04/2012 से 01/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– नैनीताल जिले के शहरी/गामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (–)
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय		
2013–14	0	0	0	0	192.85	182.32	0	22.23
2014–15	0	0	0	0	194.35	194.01	0	0.34
2015–16	0	0	0	0	219.63	201.13	0	18.50

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण्झं

(धनराशि रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अवशेष	प्राप्त	अन्य प्राप्ति	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
2013–14	जननी सुरक्षा योजना	2.24	1.13	0	3.38	1.48	1.90
	प्रो–मिस	0.27	1.55	0	1.82	1.49	0.33
	सीड मनी	0	0	0	0	0	0
2014–15	जननी सुरक्षा योजना	1.90	1.65	0	3.55	1.57	1.98
	प्रो–मिस	0.33	0.95	0	1.28	0.22	1.06
	सीड मनी	0	2.00	0	2.00	2.00	0
2015–16	जननी सुरक्षा योजना	1.98	0.62	0	2.60	0.72	1.88
	प्रो–मिस	1.06	1.15	0	2.20	1.11	1.09
	सीड मनी	0	6.50	0	6.50	4.78	1.72

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई चिकित्सा अधीक्षक, जी0 बी0 पन्त चिकित्सालय, नैनीताल सी श्रेणी की है।

(iv) लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखा परीक्षा विधिः लेखा परीक्षा में चिकित्सा अधीक्षक, जी0 बी0 पन्त चिकित्सालय, नैनीताल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन चिकित्सा अधीक्षक, जी0 बी0 पन्त चिकित्सालय, नैनीताल की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2013 एवं माह 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई में कोई वृहत निर्माण कार्य नहीं किया गया।

(v) लेखा परीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - **III**

1. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो–अ	भाग दो–ब	**STAN**
---------शून्य---------			

2. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
---------शून्य---------				

भाग **- IV**

इकाई के सर्वोत्म कार्य :–इकाई में समिति के खाते एवं समस्त व्हाउचरों का रख–रखाव सही प्रकार से किया गया है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-1 :–विभागाध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर रू0 8.14 लाख के कार्यों को टुकड़ों में कराया जाना।

वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2010 के विवरण पत्र एक्स–ठेके और टेण्डर के बिन्दु 1 (छोटे निर्माण कार्यों के निष्पादन तथा सभी प्रकार की मरम्मतों/आउटसोर्सिंग से सफाई/सुरक्षा/माली की व्यवस्था के लिये टेन्डर/ठेके) के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष को आय–व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रू0 25000 तक किन्तु शर्त यह है कि अनुमान विभागाध्यक्षों द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हों, के कार्य कराये जाने का प्रावधान है।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में सरकारी आवासों की मरम्मत हेतु अनुरक्षण मद से मो0 जाहिद अली, ठेकेदार को सीधे कार्यादेश निर्गत कर कुल रू0 4,19,000 का कार्य कराया गया। उक्त ठेकेदार को एक ही दिन (दि0 23.12.13) में रू0 2,10,000 मूल्य के एवं माह 12/2013 से 03/2014 में मध्य कुल 10 अलग–अलग कायादेश साथ ही 07/2016 तक कुल 20 कार्यादेश निर्गत कर कार्य कराये गये एवं विभागाध्यक्ष की स्वीकृति आदेश प्राप्त करने से बचने के लिए उक्त वर्ष में कार्य को छोटे–छोटे भागों में बांटकर कार्य को कराया गया। विवरण निम्नवत है।

क्र	कार्य का नाम	ठेकेदार का न	कार्यादेश जारी करने की ति	राशि
1	सरकारी आवास में मरम्मत	मो0 जाहिद अली	23.12.13	39000
2	–तदैव–	–तदैव–	23.12.13	39000
3	–तदैव–	–तदैव–	23.12.13	35000
4	–तदैव–	–तदैव–	23.12.13	49000
5	–तदैव–	–तदैव–	23.12.13	48000
6	–तदैव–	–तदैव–	28.12.13	48000
7	–तदैव–	–तदैव–	01.01.14	39000
8	–तदैव–	–तदैव–	02.02.14	35000
9	–तदैव–	–तदैव–	25.03.13	39000
10	–तदैव–	–तदैव–	25.03.14	48000
12	–तदैव–	–तदैव–	02.07.16	43117
13	–तदैव–	–तदैव–	02.07.16	43117
14	–तदैव–	–तदैव–	07.07.16	42779
15	–तदैव–	–तदैव–	07.07.16	42779
16	–तदैव–	–तदैव–	07.07.16	42779
17	–तदैव–	–तदैव–	11.07.16	40524
18	–तदैव–	–तदैव–	11.07.16	40524
19	–तदैव–	–तदैव–	14.07.16	49574
20	–तदैव–	–तदैव–	14.07.16	49574
योग				813767

लेखा परीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुये विभाग ने भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया।

अतः विभागाध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर रू0 8.14 लाख के कार्यों को टुकड़ों में कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर -2:–रू0 3.13 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दनांकः 1 मई, 2008 अधिप्राप्ति के मौलिक सिंद्धान्त बिन्दु संख्या 3(1) में स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, एवं बिन्दु सं0 (10) में स्पष्ट किया गया है कि अधिप्राप्ति के निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

अभिलेखों की औषधी क्रय से सम्बन्धित वर्ष 2012–13 के व्हाउचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इकाई द्वारा कोटेशन/निविदा प्रक्रिया एवं उच्च अधिकारी की संस्तुति प्राप्त करने से बचने के लिए कुल रू0 3,12,879 मूल्य की औषधियों का क्रय सीधे आपूर्ति मूल्य को कम कर उक्त नियमों के विपरीत किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	फर्म का नाम	आदेश क्र0	क्रय की तिथि	मूल्य
1	Kothari Drug & Pharma	107	28.04.12	14850
2	-do-	108	29.04.12	14850
3	-do-	110	04.05.12	10350
4	-do-	114	25.05.12	14760
5	-do-	115	26.05.12	15120
6	-do-	116	28.05.12	14760
7	-do-	117	29.05.12	5880
8	-do-	135	01.08.12	14820
9	-do-	136	02.08.12	14400
10	-do-	137	04.08.12	14400
11	-do-	141	22.08.12	13150
12	-do-	148	29.08.12	14820
13	-do-	148	01.09.12	14790
14	-do-	149	07.09.12	14850
15	-do-	158	18.10.12	14375
16	-do-	159	19.10.12	14400
17	Surya Medical	112	20.05.12	9884
18	-do-	111	20.05.12	14220
19	-do-	125	20.07.12	14000
20	-do-	126	23.07.12	13000
21	-do-	127	24.07.12	13000
22	-do-	128	25.07.12	14500
23	-do-	133	30.07.12	13700
Total				312879

लेखा परीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुये विभाग ने भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

अतः रू0 3.13 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर -3:–रोकड़ बही का न बनाया जाना एवं विगत तीन वर्षों में रू0 **606.83** लाख की धनराशि को रोकड़ बही में अंकित न किया जाना।

शासन के पत्रांक सं0 3/xxvii(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिन्दु संख्या 4.9 में ई–पेमेंट प्रणाली में दिये गये दिशा निदेर्शो के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धितों के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिन्ट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों–यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे'।

इकाई की रोकड़ बही पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 13.11.13 के पश्चात ई–पेमेन्ट प्रणाली लागू होने का उल्लेख करते हुए उक्त रोकड़ बहीं को बनाया ही नहीं गया है। इस प्रकार विगत तीन वर्षो (2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) के अन्तर्गत गैर स्थापना मद में प्राप्त धनराशि रू0 6,06,82,871 एवं व्यय धनराशि रू0 5,77,65,667 को रोकड़ बहीं में नहीं दर्शाया गया है जबकि इे–पेमेन्ट से सम्बन्धित शासनादेश में रोकड़ बही को बनाया जाना अनिवार्य था।

लेखा परीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुये विभाग ने भविष्य में रोकड़ बहीं का रख–रखाव सुनिश्चित किये जाने का आश्वासन दिया।

अतः रोकड़ बही का न बनाया जाना एवं विगत तीन वर्षों में रू0 606.83 लाख की धनराशि को रोकड़ बही में अंकित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर -4:–रू0 1.54 लाख की निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की नीलामी न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली आदेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून दिनांकः 01 मई, 2008 के बिन्दु संख्या 76 के अनुसार सामाग्रियों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि ''रजिस्टर में उल्लिखित आस्तियों/सामग्री की उपलब्धता और पुरानी और निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी या उसके नामिति द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च को वार्षिक सत्यापन किया जाए''।

इकाई के डेड स्टाक एवं से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कुल रू0 1,53.,945 लाख मूल्य की निष्प्रयोज्य सामाग्रियां इकाई के पास पड़ी हुई है जिसकी नीलामी सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी एवं नियमानुसार निष्प्रयोज्य सामाग्रियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया (सूची संलग्न)।

लेखा परीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुये विभाग ने भविष्य में नीलामी सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का आश्वासन दिया।

अतः रू0 1.54 लाख की निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की नीलामी न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1:–रू0 0.59 लाख की अनियमित औषधियों का क्रय किया जाना।

शासनादेश संख्या–932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के बिन्दु संख्या 11 में यह निर्देशित किया गया था कि 'प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होंगी'।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त नियमों के विपरीत इकाई द्वारा वर्ष 2015–16 में कुल रू0 58,906 मूल्य की ऐसी औषधियों का क्रय किया गया जोकि उनके निर्माण की तिथि से अधिकतम 13 एवं न्यूनतम 02 माह से अधिक पुरानी थी। विवरण निम्नवत है।

S	Name of Medicine	Mf.Date	3 Month	Received	Delay in Month	Quantity	Amount
1	Astymin fort	11/14	02/15	19.10.15	8	1000 Caps	3768
2	Amoxycillin	08/14	11/14	09.05.15	6	1000 Caps	1510
3	Amoxycillin	12/14	03/15	19.10.15	7	1000 Caps	1510
4	Amoxycillin	12/14	03/15	22.01.16	10	1000 Caps	1510
5	Ceprofloxacin	06/15	09/15	22.01.16	4	3000 Tab	6671
6	Ceprofloxacin	06/15	09/15	21.03.16	6	2000 Tab	4447
7	Cetrizin	12/14	03/15	09.05.15	2	3000 Tab	671
8	Cetrizin	01/15	04/15	19.10.15	6	5000 Tab	1118
9	Cetrizin	10/15	04/15	22.01.16	9	5000 Tab	1118
10	Diclofen Sodium	07/15	10/15	22.01.16	3	3500 Tab	915
11	Doxycyclin	07/15	10/15	09.05.15	7	1500 Caps	958
12	Doxycyclin	12/14	03/15	19.10.15	7	4800 Caps	3067
13	Doxycyclin	10/15	01/16	21.03.16	2	5000 Caps	5465
14	Etiophyllin	11/14	02/15	09.05.15	3	2000 Tab	804
15	Etiophyllin	12/14	03/15	19.10.15	7	2000 Tab	804
16	Flaximol	11/14	02/15	09.05.15	3	2000 Tab	1608
17	Flaximol	11/14	02/15	19.10.15	8	2000 Tab	1608
18	Fluconazole	11/14	02/15	16.04.15	2	200 Tab	600
19	Metronidazole	07/14	10/14	09.05.15	7	3000 Tab	1500
20	Metronidazole	11/14	02/15	19.10.15	8	5000 Tab	2500
21	Metronidazole	11/14	02/15	21.03.16	13	5000 Tab	4334
22	Norfloxacin	07/14	10/14	09.05.15	7	1000 Tab	1111
23	Norfloxacin	06/14	09/14	19.10.15	13	1000 Tab	1111
24	Nimusilide	03/15	06/15	19.10.15	4	5000 Tab	1235
25	PCM 500mg	08/14	11/14	09.05.15	6	6000 Tab	1440
26	PCM 500mg	10/15	01/16	21.03.16	2	10000 Tab	4039
27	Rentidine	10/14	01/15	09.05.15	4	5000 Tab	1340
28	Rentidine	10/14	01/15	19.10.15	9	5000 Tab	1340
29	Rentidine	12/14	03/15	22.01.16	10	3000 Tab	804
							58906

लेखा परीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुये विभाग ने भविष्य में नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का आश्वासन दिया।

अतः रू0 0.59 लाख की अनियमित औषधियों का क्रय किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - **V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा अधीक्षक, जी0 बी0 पन्त चिकित्सालय, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i)

(ii) –शून्य–

(iii)

2. सतत् अनियमितताऐंः

(i) –शून्य–

3. लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	डा0 पंकज माथुर	01.05.10 से 06.08.12
2	डा0 वी0 के0 गड़कोटी	06.08.12 से 20.11.14
3	डा0 मोनिका खर्कवाल	20.11.14 से लगातार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति चिकित्सा अधीक्षक, जी0 बी0 पन्त चिकित्सालय, नैनीताल को इस आशय से प्रषित कर दी जायेगी की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उपमहालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

व0 लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र